प्रकरण संख्या 12/18 2018/00012 रजू दिनांक 20.03.2018

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाडिया आई.ए.एस.

उनवान

रमेश चन्द मीना पुत्र श्री लल्लूराम मीना, उम्र 37 साल, निवासी ग्राम पंचायत नारौली, तहसील सपोटरा, जिला करौली (राज0) – प्रार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी, करौली (राज.) – अप्रार्थी

अपील अन्तर्गत धारा 22, राजस्थान खाद्यान्न एवम् अन्य आवश्यक पदार्थ का विनिमय आदेश 1976 विरुद्ध जिला रसद अधिकारी, करौली द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.11.2017 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.02.2018 के अन्तर्गत

निर्णय

दिनांक–29.01.2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने यह अपील पेश कर निवेदन किया है कि अपीलाण्ट ग्राम पंचायत नारौली, तहसील सपोटरा, जिला करौली के उचित मूल्य दुकान का अधिकृत डीलर है जिसका प्राधिकार पत्र संख्या 251/2007 है एवम् प्रार्थी बिना किसी शिकायत के ईमानदारी से उचित मूल्य सामग्री का वितरण कार्य करता रहा है। प्राधिकार पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत है। प्रार्थी की उचित मूल्य दुकान मैन रोड पर नहीं होने के कारण बरसात के दिनों में कीचड़ हो जाने के कारण रसद सामग्री की गाड़ी प्रार्थी के स्वीकृत गोदाम में नहीं जा सकती जिसके कारण प्रार्थी द्वारा दिनांक 10.11.2014 एसं 06.07.2015 को उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली को अस्थायी गोदाम किराये पर लेने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये। प्रार्थना पत्र दिनांक 10.11.2014 एवं 06.07.2015 मय नक्शा प्रदर्श–2 व प्रदर्श–3 संलग्न प्रस्तुत है। प्रार्थी द्वारा बरसात के कारण उपभोक्ताओं की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 31.07.2017 को रसद सामग्री वितरण हेतु अस्थायी वितरण केन्द्र ले जा रहा था लेकिन राजनैतिक रंजिशवश कुछ व्यक्तिओं द्वारा प्रार्थी की झूंठी शिकायत की गई जिस पर जिला रसद अधिकारी, करौली द्वारा अपने आदेश दिनांक 04.08.2017 द्वारा प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को निलम्बित कर प्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जिसका उचित एवं विस्तृत जवाब प्रार्थी द्वारा दे दिया गया। निलम्बन आदेश दिनांक 04.08.2017 प्रदर्श–5 एवं जबाव की फोटो की प्रति प्रदर्श–6 संलग्न प्रस्तुत है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 12.08.2017 को स्टॉक में शेष 481 लीटर केरोसीन एवं 125.26 क्विण्टल गेंहू मय पोश मशीन के अटैच डीलर धनसिंह मीना को सुपुर्द कर

जिला कलक्टर
करौली

दिया गया जिसकी प्राप्ति रसीद प्रार्थी द्वारा जिला रसद अधिकारी करौली को दे दी गई। प्राप्ति रसीद दिनांक 12.08.2017 की प्रति संलग्न है। प्रार्थी द्वारा निलंबन आदेश दिनांक 04.08.2017 को माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई जिसमें अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये एवं अप्रार्थी की ओर से दिनांक 14.11.2017 को जवाब प्रस्तुत किया गया जिसके पैरा नं. 7 में जांच के विचाराधीन बाबत् उल्लेखित किया गया। जवाब की फोटो प्रति संलग्न है। अप्रार्थी की ओर से माननीय उच्च न्यायालय में दिनांक 14.11.2017 को जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें कहीं भी प्राधिकरण पत्र के निरस्त किये जाने बाबत् कोई उल्लेख नही किया गया उसके बाबजूद जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा दुर्भावनावश उच्च स्तरीय राजनैतिक दबाव के कारण माननीय उच्च न्यायालय में जवाब प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् बैक डेट में अपने आदेश दिनांक 08.11.2017 द्वारा प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को सुनवाई का उचित अवसर दिये जाने के बिना ही अपने आदेश दिनांक 27.02.2018 द्वारा प्रार्थी को अपील प्रस्तुत करने के निर्देश पारित करते हुये उक्त याचिका को निस्तारित कर दिया गया। जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.11.2017 एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.02.2018 की प्रति संलग्न है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलार्थी ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलाण्ट की उचित मूल्य दुकान मैन रोड पर नहीं होने के कारण बरसात के दिनों में कीचड़ हो जाने के कारण रसद सामग्री की गाड़ी प्रार्थी के स्वीकृत गोदाम में नहीं जा सकती जिसके कारण प्रार्थी द्वारा दिनांक 10.11.2014 एसं 06.07.2015 को उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली को अस्थायी गोदाम किराये पर लेने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये। प्रार्थी द्वारा बरसात के कारण उपभोक्ताओं की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 31.07.2017 को रसद सामग्री वितरण हेतु अस्थायी वितरण केन्द्र ले जा रहा था लेकिन राजनैतिक रंजिशवश कुछ व्यक्तिओं द्वारा प्रार्थी की झूंठी शिकायत की गई जिस पर जिला रसद अधिकारी, करौली द्वारा अपने आदेश दिनांक 04.08.2017 द्वारा प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को निलम्बित कर प्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जिसका उचित एवं विस्तृत जवाब प्रार्थी द्वारा दे दिया गया। प्रार्थी द्वारा दिनांक 12.08.2017 को स्टॉक में शेष 481 लीटर केरोसीन एवं 125.26 क्विण्टल गेंहू मय पोश मशीन के अटैच डीलर घनसिंह मीना को सुपुर्द कर दिया गया जिसकी प्राप्ति रसीद प्रार्थी द्वारा जिला रसद अधिकारी

जिला कलक्टर
करौली

करौली को दे दी गई। प्रार्थी द्वारा निलंबन आदेश दिनांक 04.08.2017 को माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई जिसमें अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये एवं अप्रार्थी की ओर से दिनांक 14.11.2017 को जवाब प्रस्तुत किया गया जिसके पैरा नं. 7 में जांच के विचाराधीन बाबत् उल्लेखित किया गया और जवाब में कहीं भी प्राधिकरण पत्र के निरस्त किये जाने बाबत् कोई उल्लेख नही किया गया। उसके बाबजूद जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा दुर्भावनावश उच्च स्तरीय राजनैतिक दबाव के कारण माननीय उच्च न्यायालय में जवाब प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् बैक डेट में अपने आदेश दिनांक 08.11.2017 द्वारा प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को सुनवाई का उचित अवसर दिये बिना ही निरस्त कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 27.02.2018 द्वारा प्रार्थी को अपील प्रस्तुत करने के निर्देश पारित करते हुये उक्त याचिका को निस्तारित कर दिया गया। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का कथन किया है।

प्रत्यर्थी का बहस में कथन है कि श्री रमेश चन्द मीना उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत नारौली डांग 1/2 भाग तहसील सपोटरा द्वारा रात्रि समय करीब 12.15 ए.एम. पर ट्रैक्टर ट्रॉली में 6 ड्रम व 2 जरीकेनों में नीला केरोसीन तेल एवं 3 कट्टों में गेंहू को ले जाया जा रहा था जिसे मुखबिर की सूचना पर नारौली डांग पुलिस चौकी इन्चार्ज ने कालाबाजारी के संदेह के आधार पर राशन सामग्री को मय ट्रैक्टर ट्रॉली के पुलिस चौकी में खड़ा करवा लिया था। सपोटरा थानाधिकारी द्वारा सूचना दिये जाने पर जिला रसद अधिकारी, करौली के निर्देशानुसार जांच हेतु पहुंचे एवं उक्त राशन सामग्री की माप करने पर पाया कि में 6 ड्रम व 2 जरीकेनों में 846 लीटर नीला केरोसीन तेल एवं 3 कट्टों में 100 किलो गेंहू भरा हुआ था। अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर दुकान में 100 लीटर केरोसीन एवं 123 क्विं. गेंहूं पाया गया। अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान का अंकेक्षण करने पर पाया कि दिनांक 01.10.2016 से वक्त जांच तक अपीलार्थी को प्राप्त 10800 लीटर नीले केरोसीन में से 9473 लीटर केरोसीन के वितरण उपरांत शेष 1327 लीटर नीला केरोसीन की अपेक्षा 846+100=946 लीटर नीला केरोसीन पाया गया जो अंकेक्षण स्टॉक से 381 लीटर कम था। इसी प्रकार दिनांक 01.09.2016 से वक्त जांच तक अपीलार्थी को प्राप्त 1257.41 क्विं. गेंहूं में से 1132.15 क्विं. गेंहूं के वितरण उपरांत शेष 125.26 क्विं. गेंहूं की अपेक्षा 100 किलो+123 क्विं. =124 क्विं. गेंहूं पाया गया जो अंकेक्षण स्टॉक से 1.26 क्विं. कम था। अप्रार्थी द्वारा अस्थाई गोदाम की सक्षम स्तर से स्वीकृति नहीं ली गई है और ना ही अस्थाई गोदाम का प्रमाणित नक्शा मौके पर प्रस्तुत किया गया। इसलिये अस्थाई वितरण केन्द्र हेतु सक्षम अधिकारी से स्वीकृति नहीं लेने, अस्थाई वितरण केन्द्र का प्रमाणित नक्शा मौके पर प्रस्तुत नहीं करने, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना राशन सामग्री को रात्रि के समय ले जाने एवं स्टॉक में 381 लीटर

जिला कलक्टर
करौली

केरोसीन तथा 1.26 क्विंटल गेंहू कम पाये जाने संबंधी गम्भीर अनियमिततायें पाये जाने के कारण राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 11, 17सी, 18 एवं आदेश के खण्ड 6 का स्पष्ट उल्लंघन किये जाने पर विधिक प्रक्रिया द्वारा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अंत में अपील अपीलाण्ट को खारिज किये जाने का कथन किया है।

बहस उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा सक्षम स्तर से अनुमति लिये बिना दिनांक 31.07.2017 को बिना रात्रि के समय जब्तशुदा राशन सामग्री 846 लीटर नीला केरोसीन एवं 100 किलो गेंहूं का अवैध परिवहन किया जा रहा था साथ ही अपीलाण्ट द्वारा उक्त जब्तशुदा राशन सामग्री का स्वयं का होना स्वीकार किया है। अपीलार्थी अस्थाई वितरण केन्द्र का प्रमाणित नक्शा एवं स्वीकृति प्रस्तुत करने में भी विफल रहा है जिससे उक्त राशन सामग्री की कालाबाजारी किया जाना प्रतीत होता है। हम रेस्पोण्डेण्ट के कथन से सहमत हैं। अतः अपील अपीलाण्ट को खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी करौली का निर्णय दिनांक 08.11.2017 यथावत् रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रत्यर्थी को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
करौली